न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 44/2011

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 सकाराम पुत्र केसीया कौम मेणा निवासी घाणा तहसील आहोर		1 हरजी पुत्र बुद्विया कौम मेणा निवासी घाणा तहसील आहोर
		2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2006 हरजी बनाम सकाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2007 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गत सेटलमेन्ट से वर्तमान सेटलमेन्ट में वादी की भूमि कम कर दी गई, जो दुरूस्त कराते हुए गत सेटलमेन्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाबदावा का अवसर ही प्रदान नहीं किया तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को डिक्री करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रकबा कम करते हुए रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का विधिवत परीक्षण नहीं किया गया तथा न ही मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रेकर्ड की जांच की। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि प्रथम सेटलमेन्ट एवं द्वितीय सेटलमेन्ट में समान ही रही है। सम्भवतः रेस्पोडेन्ट्स की भूमि अन्य खातेदारान की भूमि में समाहित हो चुकी थी, जिसका विधिवत परीक्षण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार जांच किए जाने पर ही संभव था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

द्वारा इस प्रकार की कोई जांच नहीं की एवं न ही विधिवत सुनवाई की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि कम कर दी, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सहमति व्यक्त की है कि हमारी जमीन अधिक है, जो वादी को दी जावे, तो कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घाणा के पुराने खसरा नम्बर 344 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 346 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी के पिता की खातेदारी भूमि है। दौराने भू–प्रबन्ध उक्त खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर तहरीर किए गए, जिसके अनुसार वादी के खाते में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी, जिसे दुरूस्त कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादी के जवाब का अवसर बन्द किया जाकर वादी के बयान कलमबद्ध किए गए एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया।

प्रकरण में यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या भू–प्रबन्ध के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते वक्त वादी/रेस्पोडेन्ट के खाते से 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि कम की जाकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के खाते में जोडी गई है ? इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम घाणा की जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 के अनुसार खसरा नम्बर 344 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि बुदिया पुत्र गमना कौम मेणा सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 347 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि केसीया वल्द चतरा कौम मेणा सा0 देह खतोदार दर्ज है। इस सम्बन्ध में मिलान क्षैत्रफल का अवलोकन करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है –

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गत खसरा नम्बर	रकबा		हाल खसरा नम्बर	रकबा
344	58 बीघा 5	बिस्वा	1137	3.00
344 मी.			1139	2.90
344 मी.			1149	1.94
344 मी.			1150	1.90
344 मी., 346	3 बीघा 18	बिस्वा	1152	0.46
कुल	62 बीधा 3	बिस्वा	कुल	10.20 हैक्टेयर

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के नाम भू–प्रबन्ध से पूर्व 62 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज थी, जिसे वर्तमान रेकर्ड अनुसार तुलना करने पर 63 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होती है। इस प्रकार उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में धारित भूमि से अधिक है।

गत खसरा नम्बर	रकबा		हाल खसरा नम्बर	रकबा
347	7 बीघा 13	बिस्वा	1163	0.01
347 मी0			1164	0.04
347 मी0			1165	1.64
कुल	7 बीधा 13	बिस्वा	कुल	1.69 हैक्टेयर

इस प्रकार प्रतिवादी/अपीलाण्ट का पास पूर्व में 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि धारित थी, जिसे वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1.69 हैक्टेयर भूमि का खातेदार दर्ज किया गया है, जबकि पुराने रेकर्ड के अनुसार तुलनात्मक जांच करने पर अपीलाण्ट के हक में 1.28 हैक्टेयर भूमि ही बनती है। इस प्रकार अपीलाण्ट के पक्ष में भी भूमि में बढोतरी हुई है।

इससे यह स्पष्ट होता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में पुराने खसरा नम्बरान् से तहरीर हुए नये खसरा नम्बरान का विधिवत विश्लेषण नहीं किया है तथ न ही चालू जमाबन्दी का पुराने रेकर्ड के अनुसार परीक्षण किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि के चालू रेकर्ड एवं चैनल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जिससे पुराने खसरा नम्बरान का नये खसरा नम्बरान की भूमि का तुलनात्मक अवलोकन किया जा सके। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2006 हरजी बनाम सकाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2007 को अपास्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजात् का परीक्षण कर, नये तथा पुराने रेकर्ड के अनुसार विधिवत जांच करने के पश्चात नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर